

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2647
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर

2647. श्री देवेश शाक्यः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की उच्च दर के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बीच में शिक्षा छोड़ने की उच्च दर के पीछे के कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और
(ग) उत्तर प्रदेश में लिंग, ग्रामीण-शहरी विभाजन, शैक्षिक स्तर के आधार पर वर्गीकृत विद्यालय छोड़ने की दरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखा गया है, जिसमें प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की विभाजन रहित परिकल्पना की गई है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करती है।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। शिक्षा संविधान की समर्त्त सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं।

समग्र शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ड्रॉपआउट दर और स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करना है। इस योजना में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें सुट्ट करने; स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण; शौचालयों का निर्माण; विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता और पेयजल सुविधाएं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता तथा नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश तथा आवासीय एवं गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा के ढांचे में लाने के लिए मौसम अनुरूप छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा का प्रावधान भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सामग्री एवं उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल न जाने वाले 16 से 19 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रति कक्षा प्रति बच्चा 2000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) की एक प्रमुख विशेषता इँपॉ आउट छात्रों पर नज़र रखना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न क्रियाकलापों की वास्तविक समय पर निगरानी करना है, जिसका उद्देश्य पहुंच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जगबदेही को बढ़ाना है। वीएसके की समग्र संरचना अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों की उपस्थिति, छात्रों के मूल्यांकन, स्कूलों के प्रत्यायन, छात्रों के लिए अनुकूलक अधिगम, विभिन्न प्रबंध प्रकारों के तहत स्कूलों के प्रशासन की निगरानी में सहायता प्रदान करती है। वीएसके बेहतर कार्यान्वयन और परिणामों के लिए योजना के डेटा विश्लेषण में मदद करता है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिह्नित स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने तथा प्रबंध पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) के साथ उनको जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में अध्ययनरत स्कूल न जाने वाले बच्चों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार पका हुआ गर्म भोजन परोसा जाता है।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों की कक्षा आठ में पढ़ाई छोड़ने से रोकने तथा उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाएँ।

जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बताया गया है कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नामांकन, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित एक व्यापक दृष्टिकोण कार्यान्वयन किया है। पूरे प्रदेश में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए "स्कूल चलो अभियान" चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों की उपस्थिति को और बेहतर बनाने के लिए, विद्यालय छोड़ने वालों की चिंताओं को दूर करने तथा उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभिभावक-शिक्षक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय प्राधिकारियों और एसएमसी को जागरूक बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों के नामांकन और सतत शिक्षा सुनिश्चित करने में अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है। इन पहलों का

सामूहिक उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना और स्कूल छोड़ने की दर को प्रभावी ढंग से कम करना है।

(ग): यूडाइज़ि+ 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक-वार और शिक्षा के स्तर के अनुसार जिलावार ड्रॉपआउट दर अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री देवेश शाक्य द्वारा 'उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ने की दर' के संबंध में दिनांक 17/03/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2647 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

यूडाइज़न+ 2023-24 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक-वार और शिक्षा के स्तर के अनुसार जिलावार डॉपआउट दर निम्नानुसार है:

जिला	ग्रामीण / शहरी	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
		बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल
गौतमबुद्धनगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गाजियाबाद	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	8.7	5.7	7.4
गाजियाबाद	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गार्जीपुर	ग्रामीण	5.0	4.6	4.8	5.7	5.6	5.6	19.5	13.5	16.7
गार्जीपुर	शहरी	10.0	2.4	6.8	0.0	0.0	0.0	6.6	5.3	6.1
गोडा	ग्रामीण	8.3	7.2	7.8	9.4	10.0	9.7	12.0	9.2	10.7
गोडा	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
गोरखपुर	ग्रामीण	2.3	3.0	2.6	0.0	0.0	0.0	6.8	5.3	6.1
गोरखपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	ग्रामीण	5.3	3.3	4.3	15.8	15.4	15.6	18.1	12.7	15.5
हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हापुड (पंचशील नगर)	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.6	3.4
हापुड (पंचशील नगर)	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	9.5	6.0	7.9
हरदोई	ग्रामीण	11.4	10.5	11.0	15.7	17.9	16.7	15.6	13.1	14.6
हरदोई	शहरी	5.6	6.4	5.9	4.0	5.9	4.9	4.4	1.4	3.1
हाथरस	ग्रामीण	0.1	0.6	0.4	3.2	6.0	4.5	15.2	10.1	13.1
हाथरस	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.5	3.2
जालौन	ग्रामीण	8.1	7.8	8.0	16.1	17.2	16.7	10.7	8.7	9.7
जालौन	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	6.0	6.9
जौनपुर	ग्रामीण	2.3	1.7	2.0	5.8	5.5	5.7	10.2	7.1	8.7
जौनपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
झासी	ग्रामीण	4.3	3.1	3.7	12.0	13.6	12.8	15.6	9.5	13.0
झासी	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	ग्रामीण	0.0	1.4	0.2	3.8	7.3	5.5	7.6	6.5	7.1
ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	शहरी	0.4	0.4	0.4	0.0	2.8	1.2	7.5	7.9	7.7
कन्नौज	ग्रामीण	3.9	4.2	4.1	2.9	4.9	3.9	17.1	15.9	16.5
कन्नौज	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	8.1	12.0	9.7
कानपुर देहात	ग्रामीण	1.1	1.5	1.3	1.3	2.2	1.8	14.8	11.1	13.1
कानपुर देहात	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	1.5
कानपुर नगर	ग्रामीण	4.4	4.5	4.5	7.1	8.5	7.8	9.2	7.5	8.4
कानपुर नगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
काशीराम नगर	ग्रामीण	9.4	8.9	9.1	4.6	9.1	6.8	13.2	9.1	11.5
काशीराम नगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कौशांबी	ग्रामीण	10.7	9.1	9.9	16.6	16.5	16.6	18.3	14.9	16.7
खेरी	ग्रामीण	1.0	1.9	1.5	9.1	12.3	10.6	12.1	9.5	10.9
खेरी	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुशीनगर	ग्रामीण	9.7	9.1	9.4	2.0	4.3	3.1	16.0	13.2	14.6
कुशीनगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ललितपुर	ग्रामीण	2.9	1.3	2.1	15.2	16.9	16.0	18.2	15.2	17.0
ललितपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	2.7
लखनऊ	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	1.9	9.2	7.0	8.1
लखनऊ	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2
महाराजगंज	ग्रामीण	7.5	6.5	7.0	7.1	7.4	7.3	17.3	14.7	16.1
महाराजगंज	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.1
महोबा	ग्रामीण	3.2	2.4	2.8	12.3	12.0	12.2	20.7	19.8	20.2
महोबा	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.5	3.2
मैनपुरी	ग्रामीण	3.9	5.3	4.6	5.2	7.3	6.2	16.2	12.4	14.6
मैनपुरी	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.3	4.0
मधुरा	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	4.7	6.3
मधुरा	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.3	2.8
मऊ	ग्रामीण	1.7	1.3	1.5	0.0	0.2	0.0	14.5	7.8	11.4
मऊ	शहरी	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.5	18.0	11.3	14.7
मेरठ	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.2	8.5	6.1	7.4
मेरठ	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मिजापुर	ग्रामीण	5.7	4.8	5.2	10.7	9.0	9.9	14.3	8.9	11.6
मिजापुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	2.7	3.8
मुरादाबाद	ग्रामीण	9.1	8.7	8.9	15.3	17.7	16.5	14.5	16.5	15.5
मुरादाबाद	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	6.4	7.4
मुजफ्फरनगर	ग्रामीण	0.0	0.0	0.0	4.1	5.6	4.8	11.2	7.3	9.5
मुजफ्फरनगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.0	4.4
पीलीभीत	ग्रामीण	7.2	6.3	6.8	15.2	17.2	16.2	14.2	11.1	12.9
पीलीभीत	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.9	4.3
प्रतापगढ़	ग्रामीण	4.7	4.8	4.7	7.6	8.5	8.0	9.4	9.2	9.3
प्रतापगढ़	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रयागराज	ग्रामीण	0.8	0.5	0.7	2.4	2.6	2.5	13.0	10.4	11.8

जिला	ग्रामीण / शहरी	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
		बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल	बालक	बालिकाएँ	कुल
प्रयागराज	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रायबरेली	ग्रामीण	2.0	1.5	1.7	6.8	6.4	6.6	8.7	6.5	7.6
रायबरेली	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
रामपुर	ग्रामीण	6.9	6.1	6.5	8.6	9.8	9.2	8.8	5.6	7.3
रामपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.8	8.4
सहारनपुर	ग्रामीण	3.9	3.3	3.6	6.1	8.0	7.1	9.1	6.4	7.8
सहारनपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	3.0	4.9
संभल (भीम नगर)	ग्रामीण	3.0	5.1	4.0	0.0	8.0	3.6	0.0	0.0	0.0
संभल (भीम नगर)	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.4	4.5
संतकबीरनगर	ग्रामीण	10.6	9.8	10.2	7.4	6.7	7.0	14.9	11.5	13.2
संतकबीरनगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	2.4	4.5
शाहजहानपुर	ग्रामीण	7.3	6.1	6.7	15.3	17.5	16.3	16.3	15.3	15.9
शाहजहानपुर	शहरी	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	7.1	8.8
शामली (प्रबुद्धनगर)	ग्रामीण	0.8	2.1	1.4	5.8	5.5	5.6	7.8	2.0	5.1
शामली (प्रबुद्ध नगर)	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	3.2	6.4
श्रावस्ती	ग्रामीण	2.9	3.9	3.4	10.8	13.5	12.0	14.3	13.3	13.9
श्रावस्ती	शहरी	2.4	0.0	1.3	14.1	14.4	14.2	3.7	0.0	1.5
सिद्धार्थनगर	ग्रामीण	13.1	11.1	12.1	14.6	13.8	14.2	21.2	16.4	19.0
सिद्धार्थनगर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सीतापुर	ग्रामीण	9.2	8.5	8.9	17.7	18.2	18.0	13.0	12.7	12.9
सीतापुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	2.1
सोनभद्र	ग्रामीण	4.0	3.9	4.0	12.8	12.1	12.4	15.6	11.0	13.3
सोनभद्र	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सुल्तानपुर	ग्रामीण	0.2	0.1	0.2	6.2	6.7	6.4	8.8	5.2	7.0
सुल्तानपुर	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.8
उत्तराव	ग्रामीण	3.4	3.2	3.3	6.1	7.3	6.7	14.6	10.0	12.4
उत्तराव	शहरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
वाराणसी	ग्रामीण	4.4	3.9	4.2	1.9	3.2	2.5	8.6	6.2	7.5
वाराणसी	शहरी	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.7	4.9	2.5	3.7
उत्तर प्रदेश		1.7	1.7	1.7	1.7	3.1	4.8	3.9	9.8	7.3
										8.7

स्रोत: यूडाइज़न 2023-24.
